वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग—4
(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत बाकारूमा से लैलूंगा मार्ग उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु रकबा 3.843 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 10/06/2022
स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ एवं वन बल प्रमुख

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–780/ 1287 नया रायपुर, दिनांक 10 /06/2021

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Diversion of Forest land for widening of Existing Road From Bakaruma – Lailunga Road area 3.843 ha. – regarding.**
– **पंजीयन क्रमांक – FP/CG/Road/ 36751/ 2018**

संदर्भः – मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक/ 1239 दिनांक 24.05.2022

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र–3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बाकारूमा से लैलूंगा मार्ग उन्न्यन एवं पुर्ननिर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेकलिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार हैः–

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 02) – आवेदनकर्ता, परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत बाकारूमा से लैलूंगा मार्ग उन्न्ययन एवं पुर्ननिर्माण कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु 3.843 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्राप्त हुआ है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र । में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 3 से 10) – वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक – FP/CG/Road/ 36751/ 2018 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 04.07.2020 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 18,000 रूपये कुल 24,000 रूपये जमा कराया गया है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 11 से 12) – प्रकरण में रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत परिक्षेत्र लैलूंगा के कक्ष क्रमांक ग्राम सलखिया पी.एफ 187 रकबा 3.327 हे. हीरापुर पी.एफ. 193 रकबा 0.351 हे. और चारंगा पी.एफ 209 रकबा 0.165 हे. कुल 3.843 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 13 से 14) – प्रस्तावित क्षेत्र में धरमजयढ़ वन मंडल अंतर्गत 7.739 हे. निजी भूमि एवं 5.274 हे. शासकीय भूमि कुल 13.013 हे. गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है।

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50,000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 15 से 19) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 20 से 33) – वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 34 से 39) – प्रपत्र – 4 में छत्तीसगढ़ विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा बाकारूमा – लैलूंगा मार्ग लंबाई 22.920 कि.मी. के लिए प्रशासकीय लागत 72.53 करोड़ रू. बतायी गई है। वन भूमि का घनत्व 0.4 से 0.5 तक है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 40 से 43) – वर्तमान में मार्ग में 3.00 मीटर चौड़ाई में डामरीकृत सड़क है। सड़क यातायात घनत्व तथा इस क्षेत्र के ग्रामवासियों के आवागमन की सुविधा के दृष्टिव्य से इसे 2 लेन मार्ग बनाना आवश्यक है। मार्ग निर्माण में डामरीकृत मार्ग 7.00 मी. चौड़ाई मार्ग (2 लेन) में 20.340 कि.मी. 10.00 मी. चौड़ाई (2 लेन), 2.578 कि.मी. का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, इसके अलावा 02 नग मध्यम वाक्स स्लैब पुल, छोटे पुलियों में 59 नग पाईप पुलिया, 02 नग स्लैब पुलिया कुल 63 नग पुल पुलियों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। लगभग 5160 मी. नाली निर्माण, 2425 मी. पिचींग, 370 मी. टो वाल, पेव्हड शोल्डर ट्रेफिक साइनेज तथा रोड़ जक्शन डेवलपमेंट का कार्य भी प्रस्तावित है, साथ ही गांवों में वाटर हार्वेस्टिंग तथा यात्री पड़ाव का भी प्रावधान मार्ग निर्माण कार्य में रखा गया है।

उक्त मार्ग के निर्माण से राजधानी रायपुर से जिला रायगढ़ होते हुए लैलूंगा, झरन, खम्हार, सलखिया, धीयारगुड़ा, हीरापुर, राजपुर, सराईमुड़ा, चारंगा, राजगांव, रामपुर, बगुडेगा, बाकारूमा, आदि गांव राज्य मार्ग क्रमांक 17 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 से होते हुए पत्थलगांव, बाकारूमा, आदि गांव राज्य मार्ग क्रमांक 17 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 से होते हुए पत्थलगांव, अंबिकापुर से जुड़ जायेंगे।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 44 से 45) – प्रकरण में रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत परिक्षेत्र लैलूंगा के कक्ष क्रमांक ग्राम सलखिया पी.एफ 187 रकबा 3.327 हे. हीरापुर पी.एफ. 193 रकबा 0.351 हे. और चारंगा पी.एफ 209 रकबा 0.165 हे. कुल 3.843 हे. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के लिए वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 46 से 47) – प्रस्तावित बाकारूमा–लैलूंगा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु प्रस्तावित वन भूमि का मांग न्यूनतम है तदाशय का यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है जो वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वन मंडल द्वारा भी हस्ताक्षरित है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 48 से 67) – यूजर एजेंसी का कथन है कि पर्यावरण संरक्षण,मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के बिन्दु 7 (एफ) में उल्लेखित विवरण के अंतर्गत पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का वन मंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन एवं भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 14.09.2006 की छायाप्रति प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 68 से 86) – आवेदित क्षेत्र में धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत 334 वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है।

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 87 से 94) – परियोजना 20.00 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनीफिट विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा निर्देश दिनांक 01.08.2017 की प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 95से 96 तक) – प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु नारंगी वनखण्ड ख नं. 136/1क, 155/1, 177/1क, 186/1 रकबा 7.70 हे. क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है। गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 97 से 98) – प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु नारंगी वनखण्ड ख नं. 136/1क, 155/1, 177/1क, 186/1 रकबा 7.70 हे. क्षेत्र प्रस्तावित होने से आवश्यक नहीं।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 99 से 133 तक) – आवेदित वन भूमि 3.843 हे. के एवज में नारंगी वनखण्ड ख नं. 136/1क, 155/1, 177/1क, 186/1 रकबा 7.70 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 134 से 136) – वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वन मंडल द्वारा हस्ताक्षरित नारंगी वनखण्ड ख नं. 136/1क, 155/1, 177/1क, 186/1 रकबा 7.70 हे. वृक्षारोपण क्षेत्र का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 137 से 138) – वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वन मंडल के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 139 से 140) – वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वन मंडल के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 141 से 142) – प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 143 से 146) – आवेदित वन भूमि 3.843 हे. के एवज में नारंगी वनखण्ड ख नं. 136/1क, 155/1, 177/1क, 186/1 रकबा 7.70 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है। अतः मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 147 से 148) – प्रस्ताव सिंचाई से संबंधित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 149 से 150) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 151 से 152) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 153 से 154) – प्रकरण में किसी को उक्त क्षेत्र में से हटाया नहीं जाना है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 155 से 162) – प्रपत्र–3 पर वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ द्वारा दिनांक 06.05.2022 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वन मंडल के अनुशंसा के आधार पर भाग–3 में मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा दिनांक 14.03.2022 से व्यपवर्तन प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 163 से 164) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 165 से 176) – प्रस्तावित परियोजना ग्राम सलखिया पी.एफ 187 रकबा 3.327 हे. हीरापुर पी.एफ. 193 रकबा 0.351 हे. और चारंगा पी.एफ 209 रकबा 0.165 हे. कुल 3.843 हे. के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 177 से 178) – रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल की कुल अधिसूचित वन भूमि 17,13,41,900 हे. है।

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 179 से 180) – धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत 419.433 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है।

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 181 से 182) – धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत इस श्रेणी के एक भी प्रकरण में वन भूमि व्यपवर्तित नहीं की गई है।

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 183) – वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति स्थापित नहीं है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 184 से 185) – खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 186 से 190) – आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर रायगढ़ द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 26.02.2021 को जारी किया गया है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 191 से 192) – प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं होने से कलेक्टर, जिला रायगढ़ का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 193 से 194) – आवेदक संस्थान द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance **(प्रस्ताव पृष्ठ 195 से 196)** – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it **(प्रस्ताव पृष्ठ 197 से 198)** – प्रस्तावित 3.843 हे. वन भूमि में साजा, साल, दावड़ा, कुसुम, बीजा, महुआ, हर्रा, बहेरा, सेन्हा, आदि प्रजाति के पौधे पाये जाते है। यह क्षेत्र ग्रेनाइट नीस, सिस्ट फिलाईट, वेसिक अल्ट्रा बेसिक शैल शामिल है। सिस्ट वर्ग के चट्टानों में बायोटाईट सिस्ट, क्लोराईट माईकासिस्ट आदि पाई जाती है, वनस्पति विकास दर सामान्य है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 199 से 200) – वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र आवेदक संस्थान द्वारा दी गई है।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 **(प्रस्ताव पृष्ठ 201 से 202)** – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 203 से 206) – बिन्दु क्रमांक –2 पर विवरण दिया गया है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 207 से 208) – आवेदक संस्थान के प्रतिवेदन अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 209 से 210) – लागू नहीं।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 211 से 212) – प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण निरंक है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–
1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में कुल 4 सेट
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट 2 प्रतियों में
3. टाईम लाईन
4. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग–4

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

10/6

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–780/ 1288 रायपुर, दिनांक 10 /06/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. **वनमंडलाधिकारी**, धरमजयगढ़ वनमंडल, धरमजयगढ़, छत्तीसगढ़।
3. **परियोजना प्रबंधक**, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर।

10/6

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़